न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 194/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2024/267**
दायर दिनांक :– 19.09.2024 **निर्णय दिनांक :– 18.02.2025**

1. छतरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अनाराम पुत्र उतमाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. कान्ता पुत्री खींयाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. गोमी पुत्री खींयाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. घमण्डाराम पुत्र खींयाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. तपसीराम पुत्र खींयाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. बेना पुत्री चूनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. भागूदेवी पुत्री चूनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. माडू पुत्री खींयाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. मालकी पुत्री चुनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. राणाराम पुत्र चुनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. सवाईराम पुत्र चुनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
    अप्रार्थी सख्या 10 व 11 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता शांति पत्नी चूनाराम
12. शांति पत्नी चूनाराम जाति लोहार निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. अकलकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. किशोरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
15. भगवानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री नारायणसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम टेकरा तहसील बाप के खसरा 314 रकबा 5.9084 हैक्टेयर काश्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 13 ता 15 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है। खसरा नम्बर 314/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर काश्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 13 ता 15 खसरा नम्बर 314 रकबा 5.9084 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 13 ता 15 द्वारा उक्त भूमि पर मानसून की वर्षात से फसल एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर निरन्तर शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने मूल खसरा नम्बर 314 को लेकर की भी विधिवत बंटवाड़ा नहीं किया और न ही तरमीम

18/2/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

बाबत किसी प्रकार कभी सहमति प्रदान की है। मूल खसरान के अलग अलग बट्टा नम्बर होने से पटवारी हल्का ने सेग्रीकेशन योजना के तहत सरासर गलत तरीके से बिना किसी विधिक आदेश के बावजूद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना तरमीम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित कर दी जो सरासर गलत है। इसलिये प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम निरस्त करवाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी नवीन तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम टेकरा पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 314 रकबा 5.9084 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 314/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का टेकरा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम टेकरा पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 314 रकबा 5.9084 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 314/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का टेकरा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

18/2/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)